(106)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस 0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 1217-एक/2004 - विरूद्ध आदेश दिनांक 31-5-2004 पारित द्वारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 166/1999-2000 अपील

ईश्वरदीन पुत्र जागेश्वर कोटवार
ग्राम कल्याणपुर तहसील मैहर
जिला सतना मध्य प्रदेश --- अपीलांट

विरूद्ध

1- सरपंच,ग्राम पंचायत कल्याणपुर तहसील मैहर
2- मध्य प्रदेश शासन ---रिस्पाण्डेन्टस्

(अपीलांट के अभिभाषक श्री राकेश कुमार निगम)
(रिस्पा0 के विरूद्ध पूर्व से एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 07-6-2017 को पारित)

यह अपील आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 166/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-2004 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रिस्पा0कमांक 1 ने ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि ग्राम कल्याणपुर की भूमि सर्वे नंबर 35 रकबा 13.378 हैक्टर राजस्व कागजात में मध्य प्रदेश शासन के नाम है । मौके पर भूमि रिक्त है इसलिये गॉव के नवयुवक, बच्चों के खेल कूद एंव आवास के लिये सुरक्षित की जावे। कलेक्टर सतना ने प्रकरण कमांक 3 अ 59/99-2000 पॅजीबद्ध किया तथा तहसीलदार मेहर से स्थल की जॉच कराई। इस्तहार प्रकाशन उपरांत आपत्ति न आने से आदेश दिनांक 7-12-1999 पारित किया तथा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार भूमि सर्वे कमांक 35 में से

रकबा 1.045 हैक्टर आवादी के लिये तथा 1.045 हैक्टर खेल के मैदान के लिये कुल रकबा 2.090 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) सुरक्षित कर दिया। कलेक्टर के आदेश दिनांक 7-12-99 के विरुद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील अपील आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत की। आयुक्त, रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 166/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-2004 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से दुखी होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4/ अपील मेमो में अंकित आधारों के कम में अपीलांट के अभिभाषक ने लेखी तर्क प्रस्तुत किये, जिनके अवलोकन के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का भी अवलोकन किया गया। रिस्पा0 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

5/ अपीलांट के अभिभाषक का तर्क है कि अपीलांट को कलेक्टर सतना ने सुनवाई का मौका नहीं दिया है जबकि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है इसलिये कलेक्टर का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप न होने से निरस्त किया जाय। कलेक्टर सतना के प्रकरण कमांक 3 अ-59/99-2000 के अवलोकन पर पाया गया कि सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुर की ओर से दिनांक 2-9-1998 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम कल्याणपुर की भूमि सर्वे नंबर 35 रकबा 13.378 ह0 राजस्व कागजात में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज होने, मौके पर भूमि रिक्त पड़ी होने से गॉव के नवयुवक एंव बच्चों के खेल कूद एंव आवास के लिये सुरक्षित रखे जाने की मांग की गई है तथा आवेदन के साथ ग्राम पंचायत का प्रस्ताव/ठहराव दिनांक 1-9-98 एंव ग्राम सभा की बैठक दिनांक 23-3-98 में लिये गये निर्णय यावत् पारित प्रस्ताव/ठहराव की प्रति प्रस्तुत की गई, जिस पर से कलेक्टर सतना के प्रकरण कमांक 3 अ-59/99-2000 पॅजीबद्ध करते हुये तहसीलदार मैहर से मौके की जॉच कराई है। तहसीलदार मैहर ने जॉच के दौरान आपत्तियॉ आमंत्रण हेतु आम-इस्तहार दिनांक 5-1-99 को जारी किया है। इस्तहार की कार्यालयीन प्रति कलेक्टर के प्रकरण में संलग्न है जिसके पीठ पृष्ठ पर पुष्टिकरण में ग्रामीण भवानी सिंह, रामचरण, रामभजन, रामकिशोर, रामदीन, सीताराम, अच्छेलाल, भईयालाल, रामसुजान, रामकरन के हस्ताक्षर हैं। इस्तहार अनुसार 8-2-99

तक आपत्तियॉ आमंत्रित की गई हैं । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 के अंतर्गत भूमि के मद परिवर्तन कार्यवाही में ग्रामीणों को व्यक्तिगत सूचना देने का प्रावधान नहीं है जिसके कारण अपीलांट के अभिभाषक यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है ।

अपीलांट द्वारा बताये गये इस तथ्य पर विचार किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर उसका अतिक्रमण है। ग्राम कल्याणपुर की भूमि सर्वे नंबर 35 रकबा 13.378 हैक्टर राजस्व कागजात में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज है । तहसीलदार मेहर ने मौके पर भूमि रिक्त पड़ी होना प्रतिवेदित किया है । कलेक्टर सतना के प्रकरण में हलका पटवारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एंव ग्राम कल्याणपुर के पंचान द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किया गया पंचनामा संलग्न है जिसके अनुसार रकबा 13.378 हैक्टर में से ग्रामीणों के आवास हेतु एंव खेल कूद के मैदान हेतु भूमि आरक्षित करने वावत् सहमति का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में ग्राम कल्याणपुर की भूमि सर्वे नंबर 35 रकबा 13.378 हैक्टर चारागाह हेतु आरक्षित होने एंव सार्वजनिक हित की होने से अपीलांट का कब्जा होने अथवा न होने से अपीलांट को वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का स्वत्व पहुंचने का प्रश्न ही नहीं है, जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 166/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-2004 में निकाल गये निष्कर्ष सही हैं जिनमें फेर-बदल की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 166/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-2004 उचित होने से यथावत् रखते हुये अपील निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर